FORM No. III

कर्द अहकाम

(नियम 26)

पराक्रम

प्रकाम

रामविलास बनाम हरीराम

मुकदमा प्र०फ्र 212 RT-14 नं० 20/ सन् 2020

कारोबार हुक्म	हुक्म या कार्यवाही सय हस्ताक्षर जज	सदस्य व तारीख अहकाम का इस हुक्म की तामील में जारी हुए

26.10.20 आज यह प्र०फ्र 212 RTA कार्यालय में उपस्थित होकर पेश किया। दर्ख आमेज हुई। प्रार्थी के वकील अपने प्रतिवकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया अनंता से दुर्घटना का होना एवं अपूरणीय क्षति आदि का होना प्रतीत होता है। अतः आगामी तारीख पेशी तक अप्रतिवादी के अस्वार्ड विरुद्ध चतुरेश से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित वाहन नं. 116, 115, 279, 279, 280, 281, 282, 283, 284, थाने ग्राम देवाला तहसील मालाखेड़ा अथवा (वाणिज्य) के साथ वाहिकाई अथवा (वाणिज्य) के साथ कोई बस की यथास्थिति बनाये रखें तथा संबंध में अगली तारीख पेशी स्वयं अथवा किसी अधिकृत व्यक्ति अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित करें। अन्यथा की दशा में नोटिस तलब जप्ती वारंट जारी किये जावेंगे।

दिनांक 8.12.20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर क्र अहकाम हुकम में
29-1-24	आज मे प्रार्थनी पेश हुई। प्रार्थनी के मुख्य गवाह अमर सिंह की मुख्य परीक्षा के दौरान ये कहा है कि प्रथम को आज ही मुख्य पेशी में दर्शित किया जाए। प्रार्थनी पेशन शुमार होकर नजर से आज ही गवाह पूरी लेकर मुख्य गवाह देवे।	

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-करौली)